पत्रांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2014..................

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक ....

विषय : राज्य में IT आधारित आधारभूत संरचना को विकसित एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के निमित राज्य की राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा पर Concessionaire (रियायती) के माध्यम से IT Tower के निर्माण किए जाने के संबंध में।

[Construction of an IT Tower at the Dakbunglow, Patna, through a concessionaire to developed the IT Infrastructure and promote investment in IT Based Industry- regarding]

बिहार राज्य में आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना को विकसित करने एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–सह–पठित ज्ञापांक–765 दिनांक–26.06.2014 में भरित आई० टी० रोड मैप के विभिन्न घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में डाक बंगला पटना स्थित विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय की भूमि पर विश्वस्तरीय आई०टी० टॉवर का निर्माण करने का निर्णय है।

2. समाहर्त्ता पटना के आदेश ज्ञापांक–2572 दिनांक–02.09.2016 के द्वारा उक्त भूमि का हस्तांतरण सूचना प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क किया गया, जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के शिक्षा विभाग के आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–3948 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा उक्त भूमि का दखल–कब्जा सूचना प्रावैधिकी विभाग को सौंप दिया गया है।

3. राज्य सरकार के द्वारा IT आधारित आधारभूत संरचना को विकसित एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के निमित्त राज्य की राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा पर आधारभूत संरचना प्राधिकार के माध्यम से चयनित Concessionaire के द्वारा IT Tower का विकास किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्विषयक शर्तों का निर्धारण उसी प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा।

4. आई०टी० टॉवर के विकास के क्रम में Concessionaire के द्वारा निम्नांकित गतिविधियों को समावेशित किया जाएगा :–

(i) टॉवर के भवन का निर्माण।

(ii) टॉवर के भवन में आम सुविधाएँ यथा :– इन्टरनेट, पावर बैकअप, सिक्यूरिटी सर्विसेज, स्टोरेज का विकास एवं रख–रखाव इत्यादि।

(iii) IT/ ITES कम्पनियों को स्थल आवंटित करना, जिसके लिए वह व्यवसायिक दर पर राशि प्राप्त कर सकता है।

5. राज्य सरकार के द्वारा Concessionaire को प्रस्तावित स्थल कुल–33 (तैंतीस) वर्षो की लीज पर उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही साथ लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात यह भूमि वापस सरकार के पास चली जायेगी तथा तदोपरांत टॉवर के रख–रखाव हेतु एजेन्सी का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा ।

6. उक्त संकल्प को दिनांक 17.01.2017 को मद संख्या–22 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

<u>आदेश</u> :– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राहुल सिंह)

सरकार के सचिव

क्रमशः 2/–

ज्ञापांक : 06—सू०प्रा०—55 / 2014.................. पटना, दिनांक...........................
प्रतिलिपि : (अनुलग्नक—सी०डी० सहित) उप सचिव (ई—गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06—सू०प्रा०—55 / 2014.................. पटना, दिनांक...........................
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06—सू०प्रा०—55 / 2014.................. पटना, दिनांक...........................
प्रतिलिपि : सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06—सू०प्रा०—55 / 2014.................. पटना, दिनांक...........................
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना प्राधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06—सू०प्रा०—55 / 2014....123 पटना, दिनांक 25-01-2017
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव